संख्या-20/2020/294/क.नि.प्र./26-3-2020-20(6)/2020

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 31मार्च,2020
समाज कल्याण विभाग

विषय : चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-18/2020/235/क0नि0प्र0/26-3-2020-20(6)/2020, दिनांक 18.03.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद- मीरजापुर के विकास खण्ड-जमालपुर तहसील (चुनार) के ग्राम-शेरवा में अनुसूचित जाति सब प्लान के अन्तर्गत विकास कार्य कराये जाने हेतु कुल आंगणित धनराशि रू0 95.92 लाख पर प्रशासकीय स्वीकृति तथा परियोजना लागत के सापेक्ष रू0 66.12 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 18.03.2020 द्वारा निर्गत धनराशि से सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण संबंधी विकास कार्य कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश संख्या-18/2020/235/क0नि0प्र0/26-3-2020-20(6)/2020, दिनांक 18.03.2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।शासनादेश के शेष अंश यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ.सं0-20 /2020/294/(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी, मीरजापुर।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी मीरजपुर।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), मीरजापुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ (यू.पी.सी.एल.डी.एफ.) लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण ।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।